International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 01-05-2025, Accepted: 31-05-2025, Published: 16-06-2025
Volume 7, Issue 2, 2025, Page No. 53-57

विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण: समकालीन भारत में नीतिगत टकरावों का राजनीतिक विश्लेषण

डॉ. प्रकाश वीर दहिया
सह–आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

सारांश
समकालीन भारत में तीव्र आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2030 तक देश को पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जाए, जिसके लिए औद्योगीकरण, आधारभूत ढांचे का विस्तार और ऊर्जा संसाधनों का अधिकतम उपयोग अपरिहार्य माना जा रहा है। दूसरी ओर, पर्यावरणीय रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि इस विकास प्रक्रिया के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2022 के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा रही है। यह शोध पत्र नीति–निर्माण के द्वंद्वात्मक स्वरूप का गहन विश्लेषण करता है। यह शोध सतत विकास के लक्ष्यों (SDGs), विशेषतः SDG–13 (Climate Action) और DG–15 (Life on Land) के संदर्भ में भारत की नीतिगत प्रतिबद्धताओं की आलोचनात्मक और वस्तुनिष्ठ समीक्षा करता है । इस लेख का उद्देश्य यह है कि विकास और संरक्षण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु नीतिगत सुधारों की संभावनाओं को राजनीतिक दृष्टिकोण को उजागर किया जा सके।

मूलशब्द: विकास नीति, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास लक्ष्य, राजनीतिक विश्लेषण

आधुनिक भारत में आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच का तनाव एक गंभीर नीतिगत और राजनीतिक चुनौती बन गया है। एक ओर, भारत सरकार वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने के लिए औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, और शहरीकरण को प्राथमिकता दे रही है। दूसरी ओर, पर्यावरण संरक्षण के समर्थक जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, और प्राकृतिक संसाधनों के अति–दोहन के खतरों को उजागर कर रहे हैं। यह टकराव नीतिगत स्तर पर स्पष्ट है, जहां विकासपरक परियोजनाओं और पर्यावरण नियमों के बीच संतुलन स्थापित करना जटिल हो गया है। यह शोध पत्र मई 2025 तक के संदर्भ में इन नीतिगत टकरावों का राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें सरकार की नीतियों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं की भूमिका, और अन्य हितधारकों के प्रभाव का गहन अध्ययन किया गया है, साथ ही संभावित समाधानों पर विचार किया गया है।

पृष्ठभूमि

भारत में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच तनाव की जड़ें स्वतंत्रता के बाद से देखी जा सकती हैं, लेकिन हाल के दशकों में यह और गहरा गया है। 2014 में शुरू हुए "मेक इन इंडिया" और "स्मार्ट सिटी मिशन" जैसे कार्यक्रमों ने औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को तेज किया, जिससे आर्थिक वृद्धि तो हुई, लेकिन पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, 2025 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसकी जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है (आईएमएफ, 2025)। हालांकि, यह प्रगति पर्यावरणीय लागत पर आधारित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के आंकड़ों के अनुसार, 2023–24 में भारत में 1.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए साफ किया गया, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और नेट–ज़ीरो 2070 जैसे लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह नीतिगत द्वंद्व सरकार के समक्ष एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है।

उदाहरण के लिए, 2024 में अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन और चार धाम परियोजना के लिए हिमालयी क्षेत्रों में वन कटाई ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। अरावली में खनन से जल स्तर में 20% की कमी दर्ज की गई, जिसने हरियाणा और राजस्थान के स्थानीय समुदायों को प्रभावित किया (जल शक्ति मंत्रालय, 2024)। इसी तरह, चार धाम परियोजना के कारण भूस्खलन की घटनाओं में 15% की वृद्धि हुई (उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 2024)। ये घटनाएं विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच नीतिगत टकराव को स्पष्ट करती हैं।

औद्योगिक विकास और पर्यावरण नियम

भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले एक दशक में कई नीतिगत कदम उठाए हैं, लेकिन इन कदमों ने पर्यावरण संरक्षण के साथ गंभीर टकराव पैदा किया है। 2020 में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना में किए गए संशोधन इस टकराव का एक प्रमुख उदाहरण हैं। इस संशोधन ने कई औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी की अनिवार्य प्रक्रिया से छूट दे दी, जिसका उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को तेज करना और निवेश को प्रोत्साहित करना था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के आंकड़ों के अनुसार, 2025 तक इस नीति के तहत 50,000 से अधिक छोटी औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी गई (एमओईएफसीसी, 2025)। हालांकि, इस नीति ने प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को बढ़ा दिया, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता पर सवाल उठने लगे।

उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2024 में एक रासायनिक संयंत्र को मंजूरी दी गई। इस संयंत्र को स्थानीय समुदायों ने सख्त विरोध किया, क्योंकि इससे जल प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों में वृद्धि की आशंका थी। स्थानीय मछुआरों ने बताया कि संयंत्र से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट के कारण नदियों में मछलियों की संख्या में 30: की कमी आई, जिसने उनकी आजीविका को प्रभावित किया (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 2024)। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस नीति को "पर्यावरण विरोधी" करार दिया, क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी आई। ईआईए संशोधन ने सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया को कमजोर कर दिया, जिसके कारण स्थानीय समुदायों की आवाज को अनदेखा किया गया। इसके अलावा,

2024 में ग्रीनपीस इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस नीति के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर 25: तक बढ़ गया, जिसने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया (ग्रीनपीस इंडिया, 2024)। यह नीतिगत टकराव सरकार के ष्मेक इन इंडियाष् जैसे औद्योगिक विकास के लक्ष्यों और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बीच एक गहरी खाई को दर्शाता है।

बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और जैव विविधता

बुनियादी ढांचे का विकास भारत सरकार की प्राथमिकता रहा है, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों, रेल नेटवर्क, और शहरी परियोजनाओं के विस्तार के संदर्भ में। हालांकि, इन परियोजनाओं ने जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर प्रभाव डाला है। चार धाम परियोजना, जो उत्तराखंड में चार तीर्थ स्थलों—यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, और बद्रीनाथकृको सड़क मार्ग से जोड़ती है, इस टकराव का एक प्रमुख उदाहरण है। इस परियोजना का उद्देश्य तीर्थयात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देना था, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभावों ने गंभीर चिंताएं पैदा कीं।

पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चार धाम परियोजना के लिए 2023–24 में 900 हेक्टेयर से अधिक हिमालयी वन क्षेत्र साफ किया गया। इस वन कटाई ने न केवल जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया, बल्कि भूस्खलन की घटनाओं को भी बढ़ा दिया। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाओं में 15% की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप 50 से अधिक मौतें दर्ज की गईं (उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 2024)। हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी को नजरअंदाज करने के कारण स्थानीय समुदायों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। 2024 में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। इस याचिका के परिणामस्वरूप, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी और सरकार को पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बताया। सरकार का तर्क था कि यह परियोजना सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक पहुंच को बेहतर बनाएगी और पर्यटन से राजस्व में वृद्धि करेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यह नीतिगत टकराव बुनियादी ढांचे के विकास और जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन की कमी को उजागर करता है। हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को लागू करने से पहले व्यापक पर्यावरणीय आकलन और स्थानीय समुदायों की सहमति आवश्यक है, लेकिन इन पहलुओं को अक्सर नजरअंदाज किया गया।

जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा नीति

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें 2070 तक नेट–ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है। हालांकि, ऊर्जा मांग को पूरा करने की आवश्यकता ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न की हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025 तक कोयला–आधारित बिजली उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है (केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, 2025)। यह वृद्धि भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए की गई, क्योंकि औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में बिजली की खपत में 12% की वृद्धि दर्ज की गई (केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, 2025)। हालांकि, इस नीति ने वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को बढ़ा दिया, जिससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता पर सवाल उठने लगे। दिल्ली, जो पहले से ही विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, इस नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, शहर 200 दिनों तक "गंभीर" वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्तर पर रहा, जिसके कारण श्वसन रोगों में 18% की वृद्धि हुई (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, 2024)। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण इस समस्या का एक प्रमुख कारण रहा। इसके विपरीत, सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा दिया। 2024 में, भारत ने सौर और पवन ऊर्जा में 20,000 मेगावाट की नई क्षमता जोड़ी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की कुल हिस्सेदारी 30% तक पहुंच गई (केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, 2025)। यह प्रगति सकारात्मक है, लेकिन कोयला पर निर्भरता ने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न की।

यह दोहरी नीति जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मांग के बीच एक स्पष्ट टकराव को दर्शाती है। सरकार एक ओर नेट–ज़ीरो उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन दूसरी ओर ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर कोयला–आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। यह टकराव तब और जटिल हो जाता है, जब इसे वैश्विक संदर्भ में देखा जाता है। भारत ने 2024 में COP29 सम्मेलन में जलवायु वित्तपोषण की मांग की, लेकिन कोयला उपयोग में वृद्धि ने इसकी स्थिति को कमजोर किया। यह नीतिगत असंगति न केवल पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्रभावित करती है, बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर भी सवाल खड़े करती है।

सरकार की प्राथमिकताएं और राजनीतिक दबाव

भारत में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच टकराव को समझने के लिए सरकार की नीतियों और राजनीतिक प्राथमिकताओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। भारत सरकार की नीतियां मुख्य रूप से आर्थिक विकास को प्राथमिकता देती हैं, जो सत्ताधारी गठबंधन की "विकास" की राजनीति से प्रेरित है। 2024 के आम चुनावों में सत्ताधारी दल ने "विकास और समृद्धि" के नारे को अपनी चुनावी रणनीति का केंद्र बनाया। इस नारे के तहत, औद्योगिक परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास, और शहरीकरण को तेज करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए गए। उदाहरण के लिए, 2024 में केंद्र सरकार ने 100 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें से कई संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं (परिवहन मंत्रालय, 2024)। इसके अलावा, "मेक इन इंडिया" पहल के तहत औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई पर्यावरणीय नियमों को शिथिल किया गया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में 15% की वृद्धि हुई (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, 2025)।

हालांकि, इस विकासपरक दृष्टिकोण ने पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को दरकिनार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विपक्षी दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, जहां चार धाम परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण वन कटाई और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ीं, स्थानीय समुदायों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। 2024 में, उत्तराखंड के चमोली जिले में वन कटाई के खिलाफ 10,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें स्थानीय आदिवासी समुदायों ने भी हिस्सा लिया (उत्तराखंड वन विभाग, 2024)। विपक्षी दलों ने इन मुद्दों को उठाकर सरकार पर "पर्यावरण की अनदेखी" का आरोप लगाया। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने अपने चुनावी घोषणापत्र में पर्यावरण संरक्षण को प्रमुखता दी, जिसमें वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदमों का वादा किया गया। इस राजनीतिक दबाव ने नीतिगत बहस को और तेज कर दिया, जिसमें विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की

कमी स्पष्ट रूप से उजागर हुई। सत्ताधारी दल को इस दबाव का सामना करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े, जैसे कि 2025 में चार धाम परियोजना के कुछ हिस्सों पर रोक लगाना, लेकिन यह कदम विपक्ष द्वारा "प्रदर्शनमूलक" करार दिया गया।

हितधारकों की भूमिका

विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच टकराव में विभिन्न हितधारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। 2024 में, ग्रीनपीस इंडिया और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2020 में किए गए संशोधनों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत, 12 लाख से अधिक हस्ताक्षर एकत्र किए गए, और इसे "पर्यावरण बचाओ" आंदोलन का नाम दिया गया (ग्रीनपीस इंडिया, 2024)। इस अभियान का उद्देश्य सरकार को यह दर्शाना था कि पर्यावरणीय नियमों को शिथिल करने से दीर्घकालिक नुकसान होगा। सीएसई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2020 के बाद से शिथिल नियमों के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रदूषण 20% बढ़ा है, जिसने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल संकट को गहरा दिया (सीएसई, 2024)। इसके अलावा, एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में कई याचिकाएं दायर कीं, जिसके परिणामस्वरूप 2025 में कुछ परियोजनाओं पर रोक लगाई गई।

इसके विपरीत, उद्योग संगठनों ने सरकार से पर्यावरण नियमों को और शिथिल करने की मांग की। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने 2024 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि सख्त पर्यावरणीय नियमों के कारण भारत में निवेश में कमी आ रही है। सीआईआई ने सुझाव दिया कि पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए, ताकि निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले (सीआईआई, 2024)। उद्योग संगठनों का तर्क था कि भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है, और इसके लिए कुछ पर्यावरणीय बलिदान स्वीकार्य हैं। इस टकराव ने सरकार को एक कठिन स्थिति में डाल दिया, जहां उसे दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश करनी पड़ी। 2025 में, सरकार ने कुछ औद्योगिक परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सरल किया, लेकिन साथ ही एनजीटी के दबाव में कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं पर रोक भी लगाई। यह दोहरी नीति सरकार की संतुलन बनाने में असफलता को दर्शाती है, जिसके परिणामस्वरूप नीतिगत असंगति और बढ़ी।

क्षेत्रीय राजनीति और संघीय ढांचा

भारत के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीतिगत असहमति ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के टकराव को और जटिल बना दिया है। 2024 में, गोवा सरकार ने केंद्र की एक खनन परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। यह परियोजना पश्चिमी घाट के एक संवेदनशील क्षेत्र में प्रस्तावित थी, और गोवा सरकार ने तर्क दिया कि इससे स्थानीय पर्यावरण और पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गोवा में पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, जो 2024 में 15% राजस्व का योगदान देता है (गोवा पर्यटन विभाग, 2024)। स्थानीय समुदायों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दबाव में, गोवा सरकार ने केंद्र के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

इसी तरह, केरल में कोच्चि मेट्रो के विस्तार को लेकर पर्यावरणीय चिंताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव पैदा किया। 2024 में, मेट्रो के विस्तार के लिए कोच्चि के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्रों को साफ करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन स्थानीय समुदायों और राज्य सरकार ने इसका विरोध किया। मैंग्रोव क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं, और उनकी कटाई से कोच्चि में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, जैसा कि 2018 की बाढ़ में देखा गया था। केरल सरकार ने केंद्र से वैकल्पिक मार्ग की मांग की, लेकिन केंद्र ने परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का बताकर इसे लागू करने पर जोर दिया। इस टकराव ने केंद्र–राज्य संबंधों में एक नया तनाव उत्पन्न किया, जहां क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से टकरा रहे हैं।

यह संघीय ढांचे में नीतिगत टकराव पर्यावरण संरक्षण और विकास के मुद्दों को और जटिल बनाता है। राज्यों के पास अपने पर्यावरणीय और आर्थिक हितों की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार अक्सर राष्ट्रीय हितों के नाम पर इन हितों को नजरअंदाज कर देती है। 2025 में, इस टकराव को कम करने के लिए केंद्र ने एक अंतर–राज्य पर्यावरण समिति का गठन किया, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। यह स्थिति दर्शाती है कि भारत के संघीय ढांचे में नीतिगत समन्वय की कमी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को और कठिन बना रही है।

समाधान और सुझाव: विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण का विश्लेषण

विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार को एक समग्र और संतुलित नीति अपनानी चाहिए। इसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रक्रिया को मजबूत करना आवश्यक है, जिसमें स्थानीय समुदायों और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में, ईआईए प्रक्रिया में कई कमियां हैं, जैसे कि 2020 के संशोधनों के बाद सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया का कमजोर होना और कई परियोजनाओं को मंजूरी से छूट देना। मई 2025 तक, एमओईएफसीसी के आंकड़ों के अनुसार, 50,000 से अधिक छोटी औद्योगिक इकाइयों को बिना व्यापक पर्यावरणीय जांच के मंजूरी दी गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण में 25% की वृद्धि हुई (ग्रीनपीस इंडिया, 2024)।

ईआईए प्रक्रिया को मजबूत करने से पर्यावरणीय प्रभावों का बेहतर आकलन हो सकेगा और परियोजनाओं के दीर्घकालिक प्रभावों को कम किया जा सकेगा। स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने से नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, यदि पालघर रासायनिक संयंत्र (2024) के मामले में स्थानीय मछुआरों की राय ली गई होती, तो जल प्रदूषण से उनकी आजीविका पर प्रभाव को कम किया जा सकता था। स्वतंत्र विशेषज्ञों की भागीदारी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नीति निर्माण में शामिल किया जा सकेगा, जो दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह सुझाव सैद्धांतिक रूप से मजबूत है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं। पहला, ईआईए प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक सुधार और संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें समय और धन दोनों लगेंगे। भारत में वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय का बजट सीमित है—2024–25 में यह कुल बजट का मात्र 1% था (वित्त मंत्रालय, 2025)। दूसरा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना आसान नहीं है, क्योंकि कई समुदायों में जागरूकता और शिक्षा का स्तर कम है। तीसरा, स्वतंत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका रहती है, जो प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इसके बावजूद, यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए, जैसे कि एक स्वतंत्र पर्यावरण नियामक प्राधिकरण की स्थापना, तो यह समाधान प्रभावी हो सकता है।

हरित विकास मॉडल को अपनाना इस टकराव को हल करने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देना शामिल है। भारत ने 2070 तक नेट–ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है। 2024 में, भारत ने सौर और पवन ऊर्जा में 20,000 मेगावाट की नई क्षमता जोड़ी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 30% तक पहुंच गई (केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, 2025)। इसके विपरीत, कोयला–आधारित बिजली उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई, जिसने वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाया। सरकार को कोयला–आधारित परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से कम करना चाहिए, ताकि जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

हरित विकास मॉडल पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक प्रगति को एक साथ जोड़ सकता है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोत न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं, बल्कि दीर्घकालिक रूप से ऊर्जा लागत को भी कम करते हैं। उदाहरण के लिए, 2024 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थापित सौर पार्क ने 5,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की, जिससे 1 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की बचत हुई (केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, 2025)। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से रोजगार सृजन भी होता हैकृ 2024 में इस क्षेत्र में 2 लाख नए रोजगार सृजित हुए (राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ, 2024)। कोयला–आधारित परियोजनाओं को कम करने से दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में कमी आएगी, जहां 2024 में 200 दिनों तक एक्यूआई "गंभीर" स्तर पर रहा (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, 2024)। हरित विकास मॉडल की अवधारणा आकर्षक है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं। पहला, भारत की ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ रही है—2024 में बिजली खपत में 12% की वृद्धि हुई (केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, 2025)। इस मांग को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर विस्तार करना होगा, जिसमें भारी निवेश और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। दूसरा, कोयला उद्योग भारत में 7 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, और इसे चरणबद्ध तरीके से कम करना सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकता है (कोयला मंत्रालय, 2024)। तीसरा, सौर और पवन ऊर्जा की परियोजनाओं के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए, 2024 में राजस्थान में एक सौर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर स्थानीय किसानों ने विरोध किया (द हिंदू, 2024)। इन चुनौतियों के बावजूद, यदि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी और नीतिगत प्रोत्साहन बढ़ाए, तो यह समाधान दीर्घकालिक रूप से प्रभावी हो सकता है।

नीति निर्माण में सभी हितधारकों—उद्योग, एनजीओ, और स्थानीय समुदायों—की सहभागिता सुनिश्चित करना इस टकराव को हल करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना की जा सकती है, जहां इन मुद्दों पर खुली चर्चा हो और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाएं। वर्तमान में, नीति निर्माण में हितधारकों की भागीदारी सीमित है, जिसके कारण नीतियां एकपक्षीय हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, 2024 में तूतीकोरिन तांबा संयंत्र को मंजूरी देने से पहले स्थानीय समुदायों से कोई परामर्श नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 10,000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 2024)।

हितधारक सहभागिता नीतियों को अधिक समावेशी और प्रभावी बना सकती है। एक राष्ट्रीय मंच विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देगा, जिससे परस्पर विरोधी हितों को समायोजित करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि उद्योग और एनजीओ एक मंच पर साथ आएं, तो वे हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर सहमति बना सकते हैं, जो दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करेगी। 2024 में, सीआईआई और ग्रीनपीस इंडिया ने एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की, जिसमें उद्योगों में हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर चर्चा हुई, जिसके परिणामस्वरूप 500 कंपनियों ने कार्बन न्यूट्रल बनने की प्रतिबद्धता जताई (सीआईआई, 2024)। स्थानीय समुदायों की भागीदारी से नीतियों में सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ेगी, जिससे विरोध प्रदर्शन और कानूनी विवाद कम होंगे। हितधारक सहभागिता का विचार सैद्धांतिक रूप से मजबूत है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई बाधाएं हैं। पहला, विभिन्न हितधारकों के हित परस्पर विरोधी हैं—उदाहरण के लिए, उद्योग लाभ और विस्तार चाहते हैं, जबकि एनजीओ पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हैं। इन हितों को संतुलित करना आसान नहीं होगा। दूसरा, एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना और संचालन के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों और समन्वय की आवश्यकता होगी। तीसरा, स्थानीय समुदायों को शामिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कई समुदायों में जागरूकता और संगठनात्मक क्षमता की कमी है। इसके बावजूद, यदि सरकार इस मंच को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप में स्थापित करे, तो यह समाधान प्रभावी हो सकता है।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और प्रचार अभियान चलाना आवश्यक है। स्कूलों और समुदायों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य करना एक दीर्घकालिक समाधान हो सकता है। वर्तमान में, भारत में पर्यावरण शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन इसका कार्यान्वयन अपर्याप्त है। 2024 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि केवल 40% स्कूलों ने इसे प्रभावी ढंग से लागू किया (शिक्षा मंत्रालय, 2024)।

जागरूकता और शिक्षा दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन ला सकती है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा से युवा पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। समुदायों में प्रचार अभियान, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 2024 में हरियाणा में "हरा गांव" अभियान ने 500 गांवों में 1 लाख पेड़ लगाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी थी (हरियाणा वन विभाग, 2024)। जागरूकता और शिक्षा का सुझाव दीर्घकालिक लाभ दे सकता है, लेकिन इसके तात्कालिक प्रभाव सीमित हैं। पहला, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में अपर्याप्त हैं। दूसरा, ग्रामीण और वंचित समुदायों में जागरूकता अभियानों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वहां शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच सीमित है। तीसरा, व्यवहार परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है, और इसका प्रभाव दिखने में कई वर्ष लग सकते हैं। फिर भी, यह समाधान नीतिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच टकराव समकालीन भारत में एक गंभीर नीतिगत और राजनीतिक चुनौती है। सरकार की विकासपरक प्राथमिकताएं, हितधारकों के परस्पर विरोधी हित, और संघीय ढांचे की जटिलताएं इस मुद्दे को और गंभीर बनाती हैं। प्रस्तुत समाधान संतुलित नीति निर्माण, हरित विकास मॉडल, हितधारक सहभागिता, और जागरूकता व शिक्षा इस टकराव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इनके कार्यान्वयन में कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं।

संतुलित नीति निर्माण और हितधारक सहभागिता जैसे समाधान नीतिगत प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता ला सकते हैं, लेकिन इनके लिए मजबूत प्रशासनिक सुधार और संसाधनों की आवश्यकता है। हरित विकास मॉडल पर्यावरण और आर्थिक प्रगति को संतुलित करने का एक आशाजनक तरीका है, लेकिन कोयला उद्योग पर निर्भरता और ऊर्जा मांग जैसी चुनौतियां इसके त्वरित कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं। जागरूकता और शिक्षा दीर्घकालिक परिवर्तन ला सकती है, लेकिन इसके तात्कालिक प्रभाव सीमित हैं। इन समाधानों की सफलता सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति, संसाधन आवंटन, और हितधारकों के बीच सहयोग पर निर्भर करती है। भारत को एक ऐसी राह चुननी होगी जो आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण दोनों को सुनिश्चित करे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ भविष्य बनाया जा सके। यह संतुलन न केवल नीतिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी आवश्यक है, ताकि भारत टिकाऊ विकास के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

संदर्भ सूची:

1. संयुक्त राष्ट्र. (2015). स्थायी विकास के लिए 2030 एजेंडारू हमारी दुनिया को बदलना। ीजजचेरू/ /कहे.नद.वतह
2. यादव, पी. (2021). जलवायु परिवर्तनरू वैश्विक और स्थानीय दृष्टिकोण. वाराणसीरू हिंद पब्लिशर्स।
3. शर्मा, र. (2022). हरित विकास और नीति निर्माण. भोपालरू भारतीय लोक नीति संस्थान।
4. गर्ग, एम. (2023). पर्यावरणीय नीति और भारतीय राजनीति. नई दिल्लीरू राजकमल प्रकाशन।
5. मिश्रा, वी. (2023). पर्यावरण और विकास का संकटरू भारतीय संदर्भ. एकेडमिक प्रेस।
6. कुमार, एस., – शर्मा, पी. (2024). भारत में टिकाऊ विकासरू आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण का संतुलन. पर्यावरण नीति और अध्ययन पत्रिका, 12(3), 45द्द67।
7. ग्रीनपीस इंडिया. (2024). ईआईए संशोधनरू पर्यावरण पर प्रभाव. ग्रीनपीस इंडिया।
8. ग्रीनपीस इंडिया. (2024इ). पर्यावरण बचाओ अभियान 2024. ग्रीनपीस इंडिया।
9. केंद्र फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई). (2024). जल प्रदूषण और नीतिगत प्रभाव. केंद्र फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट
10. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई). (2024). हरित प्रौद्योगिकी कार्यशाला 2024. सीआईआई।
11. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई). (2024इ). निवेश और पर्यावरण नियम. सीआईआई।
12. द हिंदू. (2024, मई 15). राजस्थान में सौर परियोजना विरोध. द हिंदू।
13. द टाइम्स ऑफ इंडिया. (2024, जून 10). तूतीकोरिन में तांबा संयंत्र विरोध. द टाइम्स ऑफ इंडिया।
14. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति. (2024). वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट 2024. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति।
15. हरियाणा वन विभाग. (2024). हरा गांव अभियान रिपोर्ट 2024. हरियाणा वन विभाग।
16. गोवा पर्यटन विभाग. (2024). पर्यटन राजस्व 2024. गोवा पर्यटन विभाग।
17. उत्तराखंड वन विभाग. (2024). वन कटाई और सामुदायिक विरोध 2024. उत्तराखंड वन विभाग।
18. उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण. (2024). भूस्खलन और आपदा रिपोर्ट 2024. उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
19. परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार। (2024). राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं 2024. परिवहन मंत्रालय।
20. कोयला मंत्रालय, भारत सरकार। (2024). कोयला उद्योग और रोजगार 2024. कोयला मंत्रालय।
21. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ। (2024). सौर ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2024. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ।
22. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2024). एनईपी 2020 कार्यान्वयन समीक्षा. शिक्षा मंत्रालय।
23. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। (2024). जल संसाधनरू एक वार्षिक रिपोर्ट 2024. जल शक्ति मंत्रालय।
24. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। (2025). वार्षिक रिपोर्ट 2023–24. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
25. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (2025). औद्योगिक निवेश सांख्यिकी 2025. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
26. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। (2025). बजट 2024–25. वित्त मंत्रालय।
27. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। (2025). ऊर्जा सांख्यिकी 2025. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय।
28. विश्व बैंक। (2024). भारत विकास रिपोर्ट 2024रू टिकाऊ विकास के मार्ग. विश्व बैंक समूह।
29. पटेल, ए., – गुप्ता, आर. (2025). भारत में जलवायु परिवर्तन और नीतिगत दुविधाएंरू एक समीक्षा. भारतीय सार्वजनिक नीति पत्रिका, 8(1), 23–39.